राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिर्जा इफ्तेकार बेग / सूरजनारायण

तारीख हुक्म	315 / 2016 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1	
07/6/21	राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किये जाने से प्रथम तत्पश्चात न्यायालय का कार्य शुरू होने से पत्रावली आज पेश हुई। चूँकी लॉकडाउन घोषित होने के कारण पत्रावली में कोई आदेश नही लिखाया जा सका था एवम् कोविड-19 महामारी के पश्चात अब पुनः पक्षकारान की बहस सुनी जाकर ही आदेश पारित किया जाना उचीत समझा जाता है। अतः पत्रावली पक्षकारान की आवश्यक रूप से सुनवाई हेतु दिनांक 16/7/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/7/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। आधि. अपीलांट उपस्थित। रेस्पोन्डेन्टस एवम् उनके आधिवक्ता अनुपस्थित। उन्हे बार-बार लगातार आवाजे लगवाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित ही रहे, जिस पर आधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्टस एवम् उनके आधिवक्ता निरन्तर पेशीयो पर बगैर किसी वजह के मूल अपील मे बहस करने को लगातार AVOID कर रहे है। आधिवक्ता अपीलार्थी ने पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि प्रकरण मे अन्तिम बहस अपीलांट सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण करमाया जावे। जिस पर पत्रावली की आदेशिकाओ का अवलोकन किये जाने पर प्रकरण के तथ्य यह है कि इस न्यायालय के समक्ष मैसर्स मिर्जा इफ्तेकार बेग अपीलार्थी द्वारा सूरजनारायण व अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/5/2016 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई। जिस पर एकपक्षीय बहस आधिवक्ता प्रार्थी। अपीलार्थी बाबत् स्थगन प्रार्थना पत्र समाप्त की जाकर दिनांक 24/5/2016 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13/5/2016 की क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखी गयी एवम् रेस्पोन्डेन्टस को अपील व स्थगन के नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात निरन्तर तारीखे तब्दील होने के पश्चात दिनांक 10/10/2016 (हस्ताक्षर)	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान) [seal]

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिर्जा इस्लोवार बेग / सूरजनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो बाद हुक्म की तामील में जारी हुए
315 / 2016	2	

को रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. पारीक ने उपस्थित आकर अपना अभिभाषण पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पीसी प्रस्तुत किया, जिसके जवाब हेतु तारीख तबदील होती रही तत्पश्चात दिनांक 26/10/16 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी बाबत बनाये जाने पक्षकार अपील प्रार्थना पत्र मे अंकित अम्बेश्वर गृ. नि. स. स. लि. की ओर से प्रस्तुत हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22/3/2017 को अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC पर बहस पक्षकारान समाप्त की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC स्वीकार करते हुये इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/5/2016 को यह अंकित करते हुये निष्प्रभावी कर दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने की आड में अपीलार्थी द्वारा मौके की स्थिति मे परिवर्तन किया जा रहा है जिससे रेस्पोडेन्टस को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है। तत्पश्चात दिनांक 25/2/20 को मूल अपील पर अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 11/3/2020 को नियत की गयी। दिनांक 11/3/2020 को न्यायालय की व्यस्तता के कारण आदेश नही लिखाया जा सका, अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/3/2020 नियत की गयी किन्तु कोविड-19 की परिस्थितियोंवश राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किये जाने की वजह से पत्रावली दिनांक 03/11/20 को पेशी मे ली गयी एवम् उभयपक्षो के उपस्थित होने पर वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 10/11/20 नियत की गयी। दिनांक 10/11/20 से निरन्तर रेस्पोडेन्टस द्वारा तारीखे चाहने पर बहस हेतु तारीखे तबदील की जाती रही। दिनांक 23/12/20 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा पुनः बहस हेतु समय चाहने पर उन्हे बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक 28/12/20 को पुनः अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गयी कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निरन्तर बहस हेतु अवसर चाहते रहे है, अतः अब कोई अवसर नही दिया जाकर अन्तिम बहस आज ही समाप्त की जावे किन्तु न्यायहित में रेस्पो. को एक अन्तिम अवसर इस शर्त के साथ दिया गया कि वे आगामी पेशी को आवश्यक रूप से अपनी मौखिक/लिखित बहस करेंगे, अग्रिम अवसर देय नही होगा एवम् अपीलार्थी की बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किया जावेगा व प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 05/1/21 नियत की गयी तत्पश्चात प्रकरण मे पुनः तारीखे तबदील होती रही।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिर्जा इकबाल बेग / सूरजनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
315/2016	3	

दिनांक 28/1/2021 को पुनः रेस्पो. के सीनियर अधिवक्ता के नहीं आने से तारीख तब्दील की गयी। दिनांक 05/2/21 को रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये, जिसकी नकल अपीलान्ट के अधिवक्ता को दी गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमति देते हुये आज ही अन्तिम बहस सुने जाने का निवेदन किया किन्तु पुनः अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया, अतः पुनः तारीख पेशी दिनांक 08/2/21 नियत की गयी। तारीख तब्दीली के पश्चात दिनांक 09/2/21 को पत्रावली पेशी में ली गयी किन्तु अधिवक्ता रेस्पो द्वारा पुनः बहस हेतु समय चाहा गया किन्तु दिनांक 09/2/21 को भी अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बहस नहीं की जाकर तारीख पेशी ली गयी, जिस पर दिनांक 11/2/21 की तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 11/2/21 को अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के पत्र बाबत मुल्तवीली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत तहरीर व मुल्तवीली प्रार्थना पत्र के साथ कोई आदेशिका या स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है, अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष कैविएट प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ था जिसका कोई नोटिस उन्हें नहीं मिला है, अतः आज ही बहस मूल अपील समाप्त की जावे किन्तु न्यायालय द्वारा यह उचित समझा गया कि चूँकि माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष मुल्तवीली प्रार्थना-पत्र पेश हो गया है एवम् माननीय मण्डल द्वारा पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी है ऐसे में इस अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जाकर माननीय राजस्व मण्डल को पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित किये जाने हेतु पत्रावली नियत की गयी। तत्पश्चात दिनांक 05/3/21 को अधिवक्ता पक्षकारान् के उपस्थित होने पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 02/3/21 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मुल्तवीली प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया है, रेस्पो. को पूर्व में भी बहस हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं, अतः आज ही बहस सुनी जावे किन्तु अधिवक्ता रेस्पो द्वारा पुनः बहस हेतु अवसर चाहा गया, जिस पर दिनांक 08/3/21 पेशी नियत की गयी।

[signature] 16/7/21 For Appellant

राजस्व अपील प्राधिकारी

(Seal: राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान))

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

निर्णय अपील 315/2016 ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	
315/2016	दिनांक 08/3/21 को पुन: तारीख तब्दील होने से दिनांक 10/3/21 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 10/3/2021 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट की फोटोप्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पुन: प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु रिट प्रस्तुत की गयी है, अत: प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जावे। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आपत्ति जाहिर करते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में मात्र रिट प्रस्तुत की गयी है जो न्यायालय के समक्ष अभी नहीं आई है ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है, अत: आज ही बहस सुनी जावे। इस पर न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को निर्देश दिये गये कि वे आगामी पेशी से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका की प्रमाणित प्रस्तुत करें ताकी प्रकरण में युक्तियुक्त कार्यवाही की जावे, प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 22/3/21 नियत की गयी। दिनांक 22/3/21 की तारीख पेशी पुन: तब्दील की जाकर पेशी दिनांक 24/3/21 नियत की गयी। दिनांक 24/3/21 को पुन: अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा निजीकारण से तारीख चाही गयी, जिस पर दिनांक 31/3/21 की तारीख पेशी नियत की गयी। दिनांक 31/3/21 को पुन: अधि. रेस्पो. के जूनियर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पुन: एक अवसर बहस हेतु दिये जाने का निवेदन किया, जिस पर दिनांक 09/4/21 नियत की गयी। दिनांक 09/4/21 को अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08/4/21 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण अदम हाजरी में खारिज हो चुका है, अत: अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से आज आवश्यक रूप से बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे, जिस पर रेस्पो. की ओर से नवीन अधिवक्ता नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ एवम् एक अवसर और दिये जाने का निवेदन किया, जिस पर दिनांक 12/5/21 नियत की गयी। दिनांक 12/5/21 को पुन: किन्ही कारणो से तारीख तब्दील होने पर आगामी पेशी दिनांक 16/5/21 नियत की गयी। दिनांक 16/5/21 को पुन: रेस्पो. की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत पुन: तारीख तब्दील किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय द्वारा रेस्पो. को पूर्व में दी गयी तारीखो का हवाला देते हुये आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस अधिवक्ता अपीलार्थी सुनी गयी एवम् आदेशार्थ में आदेश	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिर्जा ह्वलेदार बेग / सूरजनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
315/2016	5	

किया गया कि रेस्पोंडेन्टस यदि प्रकरण में बहस करना चाहते है तो वह दिनांक 26/4/21 से पूर्व अपनी लिखित या मौखिक बहस प्रस्तुत करे अन्यथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/4/21 को पेश हो, तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किये जाने से पुनः न्यायालय कार्य प्रारम्भ होने पर पत्रावली दिनांक 07/6/21 को पेशी में ली गयी, पूर्व में अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनने के पश्चात कोई आदेश नहीं लिखाये जाने से पत्रावली पुनः पक्षकारो की बहस सुना जाना उचित समझा जाकर वास्ते पुनः बहस दिनांक 16/7/2021 को नियत की गयी।

आज दिनांक 16/7/2021 को अभिभाषक अपीलार्थी उपस्थित आये। अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस एवम् रेस्पोंडेन्टस स्वयं को कई मर्तबा आवाजे दिलवायी गयी। उनके उपस्थित नहीं आने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उक्त सन्दर्भित आदेशों का का हवाला देते हुये निवेदन किया कि अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी पर सुना जाकर दिनांक 22/3/2017 को प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष मे पूर्व में जारी आदेश दिनांक 24/5/16 को निरस्त कर दिया गया जिसकी आड में अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट निरन्तर अनावश्यक वजह उत्पन्न करते हुये मूल अपील की बहस करने को टालते जा रहे है, न्यायालय की सूचना के बावजूद आज भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति स्थगित नहीं होने से रेस्पोंडेन्टस उसका अनुचित लाभ उठाकर अपीलार्थी को अनावश्यक हानि कारित कर रहे है। अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे भी रेस्पोंडेन्ट को यह हिदायत दी जा चुकी है कि उनके द्वारा मूल अपील में बहस नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	315/2016 मिसल इन्तेजार बेगो / सूरजनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की एकपक्षीय बहस समायत की जावेगी एवम् प्रकरण का एकपक्षीय निस्तारण कर दिया जावेगा। अतः रेस्पोन्डेन्टस को अब कोई अन्य मौका नहीं दिया जाकर अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत की जावे ताकि अपीलार्थी को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

अभिभाषक अपीलार्थी के उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में इस न्यायालय की पूर्व आदेशिकाओं का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्टस निरन्तर प्रकरण मे बहस करने को टालते (AVOID) जा रहे है। अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल एवम् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट ने प्रकरण के विभिन्न स्तर पर प्रकरण को लम्बा करने की गरज से माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उचित नही मानते हुये खारिज कर दिया गया तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गयी जो भी खारिज हो गई, तत्पश्चात भी वे प्रकरण में बहस करने को निरन्तर टाल (Avoid) रहे है, जो उचित प्रतीत नही होने से मूल अपील पर अभिभाषक अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 27 पर उपलब्ध तथाकथित पट्टे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त पत्र के शीर्षक मे कहीं भी पट्टा शब्द अंकित नहीं है, इसके अतिरिक्त उक्त तथाकथित पत्र (पट्टा) पर कहीं भी महाराजा सवाई मानसिंह की कोई मोहर अंकित नहीं है जिससे स्पष्ट रूप से तथाकथित पट्टे का अस्तीत्व ही संदिग्ध है। प्रीतम सिंह द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	315/2016 मिर्जा इब्राहिम बेग / सूरजनारायण — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 7	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के आधार पर ही रेस्पोन्डेन्ट्स के हक में बेचान पत्र निष्पादित किया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान सन्दर्भित बेचान पत्र की फोटोप्रति जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है के पृष्ठ सं. 17 मे अंकित तथ्यो की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त बेचान पत्र में विक्रयकर्ता प्रीतमसिंह द्वारा यह अंकित किया गया है कि उसे पूर्व राजा मानासिंह द्वारा दिनांक 01/7/1970 के पट्टे के द्वारा भूमि प्राप्त हुई है जबकी अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा पुनः हमारा ध्यान पत्रावली पर उपलब्ध तथाकथित पट्टे की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त तथाकथित पट्टे (पत्र) को जारी करने की दिनांक 01/7/1960 अंकित है, जिससे स्पष्ट रूप से विरोधाभास जाहिर हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने सन्दर्भित बैचान पत्र के पृष्ठ सं.17 की ओर पुनः हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त बैचान पत्र मे यह भी अंकित किया गया है कि राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट 1963 के प्रभाव मे आने से धारा 6 के प्रभाव से सन्दर्भित आराजी का खातेदार हो गया एवम् इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में विक्रेता (प्रीतमसिंह) का नाम बतौर खातेदार अंकित हो गया और एक पर्चा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उनके हक मे जारी हो गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के प्रत्येक पृष्ठ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स स्वयं को सन्दर्भित आराजी का खातेदार काश्तकार होना कहकर आता है किन्तु ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि प्रश्नगत आराजी के विक्रेता (प्रीतमसिंह)	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (seal)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	315/2018 मिर्जा इफ्तखार बेग/ सूरजनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 8	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रश्नगत आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। अभिभाषक अपीलार्थी ने सन्दर्भित सम्पूर्ण बेचान पत्र को पुनः पढ़ते हुये बहस मे निवेदन किया कि प्रीतमसिंह द्वारा उक्त बेचान पत्र में यह अंकित किया गया है कि सन्दर्भित 30 बीघा भूमि मे से 15 बीघा भूमि पूर्व मे ही रामचन्द्र पुत्र मंगललाल को वरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी गयी थी किन्तु यह कही अंकित नही किया गया है कि पूर्व में बेचानशुदा भूमि के क्या-क्या खसरा नम्बर रहे है, न ही सन्दर्भित बेचान पत्र जो कि रेस्पोंडेन्ट अपने हक मे होना अंकित करते है, मे कही भी यह अंकित नही किया गया है कि किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी आराजी मिलाकर शेष रही 15 बीघा भूमि की मौके पर क्या वस्तुस्थिति है, बेचान पत्र मे नही दर्शाई गयी है। अभिभाषक अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी। रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस मे निवेदन किया कि उक्त समस्त राजस्व रिकार्ड में बतौर कृषक दफ्तर हैनरीइयूरेन्स का नाम अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि सन्दर्भित समस्त आराजीयात के सन्दर्भ मे प्रार्थी/ रेस्पोंडेन्ट कभी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज नही रहे। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 122 से 124 पर उपलब्ध एक अन्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया की उक्त बेचान पत्र दिनांक 20/9/1963 का है, जो कि महाराज सवाई मानसिंह द्वारा एस.एम. एस. इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन के हक मे 1300 बीघा स्थित ग्राम आमेर हेतु ही निष्पादित किया गया है एवम् उक्त एस.एम.एस.इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन से 30 बीघा भूमि अपीलार्थी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	315/2016 मिर्जा ईश्तेदार बेग / सूरजनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी है एवम् उस पर 90बी की कार्यवाही करवा कर आवासीय भूखण्ड जरिये अम्बेश्वर सहकारी समिति के माध्यम् से काट कर सन्दर्भित सोसायटी के सदस्यगणो को आवंटित किये गये है। मौके पर पट्टेशुदा हैवागण अपने रिहायशी मकान बना कर रहवास कर रहे है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो. प्रश्नगत आराजी पर काबिज नही है, न ही कोई काश्त होना सम्भव है। बहस के अन्त मे अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज से न तो विक्रेता प्रीतम सिंह एवम् न ही क्रेता प्रार्थी/रेस्पो. सूरजनारायण किसी प्रकार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अंकित है जबकि राजस्व न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के हक मे वह भी उसके प्रश्नगत आराजी पर काबिज होने की सूरत मे ही उसके हक में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के समर्थन मे सिविल कोर्ट केसेज 2000(1)-266, 2015 DNJ -67, 2012(1) DNJ पृष्ठ-405, 2001(2) CCC पृष्ठ 488, 2002(3) CCC पृष्ठ 110, 2014 DNJ पृष्ठ 414, 2013 DNJ पृष्ठ 16 उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यो की अनदेखी करते जो प्रार्थी/रेस्पो के हक में अपीलान्ट के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विरुद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मिर्जा इश्तेदार बेग / सूरजकरण आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	315/2016 10	

से निस्तारण तो मूल वाद के गुणावगुण के आधार पर ही सम्भव हो सकेगा किन्तु अपीलार्थी की बहस के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / रेस्पोण्डेन्ट द्वारा जो स्वयं को प्रश्नगत आराजी का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार कथित करते हुये आदेश और अपील प्राप्त किया है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के विपरित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / रेस्पोण्डेन्ट द्वारा न तो स्वयं का न ही उसको बेचान करने वाले प्रीतम सिंह का प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना प्रथमदृष्टया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से साबित होता है, इसके विपरित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड मे काबिज खातेदार काश्तकार के बतौर इन्तर हेनीड्यूरेन्ज का नाम अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ मे प्रार्थी / रेस्पोण्डेन्ट का प्रथमदृष्टया कोई प्रकरण बनना प्रतीत नही होता है। जिससे प्रार्थी / रेस्पो. के हक मे जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण होना धारित किया गया है वह पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र काबिज व्यक्ति के हक मे ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। जबकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / रेस्पोण्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख	मिश्री (रमेदार बेग) / सूरजनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
315/2016	11	

अप्रार्थी क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा विवादित आराजी पर पट्टे काट काबिज होने का उल्लेख करते है एवम् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे भी उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी की 90बी की कार्यवाही की जाकर मौके पर सहकारी समिति के द्वारा पट्टे काट कर पट्टो के माध्यम से काबिज व्यक्तियो के मकानात बने होना व उन पर उनकी रिहायश होना अंकित किया गया है, जिस सन्दर्भ मे न तो प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई मौका रिपोर्ट स्वयं के काबिज होने के सन्दर्भ में करायी गयी, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के सन्दर्भ में भ्रान्ति दूर किये जाने का प्रयास किया गया है जबकी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व बनता था कि वे कोई कमीश्नर नियुक्त कर कब्जे काश्त के सम्बन्ध मे मौके की वस्तुस्थिति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तदनुसार निस्तारण करते। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर भी अपने आदेश और अपील मे विवेचन नही किया है कि "आया प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ मे 90बी की कार्यवाही हो गई हो तो प्रश्नगत आराजी कृषि आराजी से सपरिवर्तित हो चुकी है या नही" ऐसी स्थिति मे राजस्व न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार भी प्रकरण मे रहता है कि नही।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मिसल इस्तगासा बनाम सुरजनाराम व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
315/2016		

की तत्कालीन अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर ही होना सम्भव है, जिससे स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश और अपील दिनांक 13/5/2016 एक त्रुटिपूर्ण आदेश प्रतीत होने से निरस्त (खारिज) किया जाता है एवम् प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुये एवम् मौके पर कब्जे सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात दोनो पक्षों को सुनकर नये सिरे से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करे। तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/7/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी (मुहर)
जयपुर (राजस्थान)

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर